न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :- 326/2021

1. जसवन्तसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--वादी

बनाम

1. मेवासिंह पुत्र रूपसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जगदेवकौर पत्नि मेवासिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. हरजिन्द्रकौर पुत्री मेवासिंह पत्नि लाभसिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगागनर राजस्थान।
4. सुखविन्द्रकौर पुत्री मेवासिंह पत्नि गुरजन्टसिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 आर बी तहसील रायसिंह नगर जिला श्री गंगागनर राजस्थान।
5. पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शखा गोलूवाला हाल स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री जसपाल सिंह अधिवक्ता --- वादी
2. श्री सन्दीप कुमार अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 5

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 08/02/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 4 एक ही हिन्दू – [illegible] दान के सदस्य है जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested

वाके तहसील पीलीबंगा के चक 40 [illegible] की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं. 95/73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 16/1/0.2280, 16/[illegible]0.0250 रास्ता, 17 ता 24/2.024, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 रास्ता, की कुल 2.5300 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

08.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वाके तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल एल डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं. 95/73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 6/1/0.2280, 6/2/0.0250 रास्ता, 7 ता 14/2.024, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250रास्ता, की कुल 2.5300 हैक. व प.न. 5/236 मु.न. 12 कि.न. 1/1/0.2280, 1/2/0.025खाला, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250खाला, 3/1/0.1140, 3/3/0.0120 खाला की 0.6320 है. कुल 3.1620 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता,खाला कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

वाके तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल एल डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी खतौनी का खाता सं. 97 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 16 ता 25 कुल 10 बीघा यानि 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता व इसी प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 6 ता 15 की 10 बीघा यानि 2.530 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता व प.न. 5/236 मु.न. 12 कि.न. 1, 2, 3/0.126 की 0.6320 है. इस प्रकार कुल 5.6920 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खाला कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी न. 3 व 4 का दादा व प्रतिवादी न. 1 का पिता स्वः रूपसिंह पुत्र सावनसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी थी। जो कि मुझ वादी व प्रतिवादी न. 3 व 4 का दादा व प्रतिवादी न 1 का पिता व प्रतिवादी न. 2 का ससुर उक्त स्वः रूपसिंह पुत्र सावनसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंह वाला तहसील पीलीबंगा से प्रतिवादी न. 1 को विरास्त में प्राप्त होकर जरिये चक 40 एल एल डब्ल्यू का ईन्तकाल न. 214 व ईन्तकाल न. 236 के वादी व प्रतिवादी न. 3 व 4 का दादा व प्रतिवादी न. 1 का पिता स्वः रूपसिंह पुत्र सावनसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा से वादी व प्रतिवादी न. 3 व 4 का पिता व प्रतिवादी न. 2 का पति यानि प्रतिवादी न. 1 मेवासिंह वल्द रूपसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड विरास्तन हुई है। जो कि वादी व प्रतिवादी न. 1, 3 व 4 की खानदानी व पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से मुताबिक हिन्दू विधि वादी व प्रतिवादी न. 3 व 4 का मुताबिक हिन्दू विधि जन्म से ही प्रतिवादी न. 1 के ब. हिससा बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है जिसके हक व हिस्सा की घोषणा पाने के वादी व प्रतिवादीगण कानूनन हकदार हैं जबकि प्रतिवादी न. 2 व 3 व 4 ने अपना उक्त हक व हिस्सा को लेना नहीं चाह कर वादी व प्रतिवादी न. 1 के हक में ब. हिस्सा बराबर बराबर दे दिया है जिससे वादी व प्रतिवादी न. 1 दावा की दफा 3 ता 5 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पानरे व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हकदार है।

वादी व प्रतिवादी न. 1 ने अपने उक्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का आपसी सहमति से काफी लम्बे समय से घरू बंटवारा रास्ता खाला व काश्त आदि व पानी लगाने आदि व कृषि भूमि अच्छी मन्दी के अनसार किया हुआ है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी न. 1 निम्न प्रकार से अलग अलग काश्त चले आ रहें हैं जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी न. 1 को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर कृषि भूमि अलग अलग खाता में दर्ज कर अलग अलग खाता कायम की जावे। :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested

(क) वाके तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल एल डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं.

08.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

95/73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 16/1/0.2280, 16/2/0.0250 रास्ता, 17 ता 24/2.024, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 रास्ता, की कुल 2.5300 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि जो प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। का वादी जसवन्तसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रकम राज कायम की जावे।

(ख) वाके तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल एल डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं. 95/73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 6/1/0.2280, 6/2/0.0250 रास्ता, 7 ता 14/2.024, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250 रास्ता की कुल 2.5300 हैक. व प.न. 5/236 मु.न. 12 कि.न. 1/1/0.2280, 1/2/0.025 खाला, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250 खाला, 3/1/0.1140, 3/3/0.0120 खाला की 0.6320 है. कुल 3.1620 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी कृषि भूमि को प्रतिवादी न. 1 के नाम कायम रखी जावे।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

"दावा की दफा 6 क ता ख के अनुसार वादी व प्रतिवादी न. 1को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जावे।"

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 23.11.2021 को वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 द्धएससीऋ पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 द्धएस.सी.ऋ 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) वि[illegible] के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार [illegible] के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री [illegible] की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested

08.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वर्णित भूमि का खाता विभाजन किया जाकर तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं. 95/73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 16/1/0.2280, 16/2/0.0250 रास्ता, 17 ता 24/2.024, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 रास्ता, की कुल 2.5300 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि जो का वादी जसवन्तसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं. 95/73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 6/1/0.2280, 6/2/0.0250 रास्ता, 7 ता 14/2.024, 15/1/0.2280,15/2/0.0250 रास्ता की कुल 2.5300 हैक. व प.न. 5/236 मु.न. 12 कि.न. 1/1/0.2280, 1/2/0.025 खाला, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250 खाला, 3/1/0.1140, 3/3/0.0120 खाला की 0.6320 है. कुल 3.1620 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी कृषि भूमि को प्रतिवादी न. 1 के नाम कायम रखी जाती है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested

08-02-2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 326/2021

1. जसवन्तसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--वादी

बनाम

1. मेवासिंह पुत्र रूपसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जगदेवकौर पत्नि मेवासिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. हरजिन्द्रकौर पुत्री मेवासिंह पत्नि लाभसिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगागनर राजस्थान।
4. सुखविन्द्रकौर पुत्री मेवासिंह पत्नि गुरजन्टसिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 आर बी तहसील रायसिंह नगर जिला श्री गंगागनर राजस्थान।
5. पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शखा गोलूवाला हाल स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--प्रतिवादीगण

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री जसपाल सिंह अधिवक्ता --- वादी
2. श्री सन्दीप कुमार अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 5

निर्णय

दिनांक :- 08/02/2022

वादी की ओर से श्री जसपाल सिंह अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री सन्दीप कुमार अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया [illegible] डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर [illegible] अधिनियम -1955 की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत वर्णित भूमि का खाता [illegible] तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं. [illegible]73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 16/1/0.2280, 16/2/0.0250 रास्ता, 17 ता 24/2.024, 25/1/0.2280,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested

08.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

25/2/0.0250 रास्ता, की कुल 2.5300 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि जो का वादी जसवन्तसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 से जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का खाता सं. 95/73 का प.न. 4/236 मु.न. 11 कि.न. 6/1/0.2280, 6/2/0.0250 रास्ता, 7 ता 14/2.024, 15/1/0.2280,15/2/0.0250 रास्ता की कुल 2.5300 हैक. व प.न. 5/236 मु.न. 12 कि.न. 1/1/0.2280, 1/2/0.025 खाला, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250 खाला, 3/1/0.1140, 3/3/0.0120 खाला की 0.6320 है. कुल 3.1620 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, खाला कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी कृषि भूमि को प्रतिवादी न. 1 के नाम कायम रखी जाती है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 08/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

08.02.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested